

संख्या-9401/मंसो (006)/2010

प्रक

श्रवण कुमार शर्मा,
आयुक्त/अध्यक्ष (मण्डलीय समिति)
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सेवा में

साथिय,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग

मेरठ दिनांक : 19-02-2010

विषय :- दी मिलेनियम स्कूल, डी0-108 सेक्टर 41, नौएडा (गौतमबुद्धनगर) को सी0वी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या-1816/15-7-9(289)/2007 दिनांक 14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 28-01-2010 को मण्डलायुक्त, मेरठ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0वी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रत्येक सगिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/कांसिल फॉर दि इम्प्लियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्सामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्ता होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की शर्त से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य मत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य मत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

For Millennium School:

Shikha
Principal

- (8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
 (9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों का अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी
 (10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- विद्यालय द्वारा छात्रों से कौशलमयी (सिखयोरिटी), भवन शुल्क आदि मुदों में शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनामति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,
 ए० अस्पष्ट
 (शवण कुमार शर्मा)
 आसुक्त/अध्याक्ष

पु०सं०-9401/मं०सं० (006)/2010 तद्व. दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- संयुक्त सचिव, (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
- 4- प्रबन्धक, दी मिलेनियम स्कूल, डी०-108 सैक्टर 41, नौएडा (गौतमबुद्धनगर)।

आज्ञा से,

(वी०के० सयसेना)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव,
 मेरठ मण्डल, मेरठ।

For Millennium School:

Shikha
 Principal